विषय सूची

भाग I :

खण्ड क-प्रस्तावना

भाग II:

खण्ड ख-आयात व्यापार के सामान्य दिशा-निर्देश

ख.1. सामान्य दिशा-निर्देश
ख.2. फार्म अ-1
ख.3. आयात लाइसेंस
ख.4. विदेशी मुद्रा क्रेता का दायित्व
ख.5. आयात भुगतान के निपटान की समय सीमा
ख.6. विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए का आयात

भाग III

खंड-ग अग्रिम प्रेषण के लिए दिशा-निर्देश

ग-1. अग्रिम विप्रेषण
ग.1.1. आयात माल के लिए अग्रिम विप्रेषण
ग.1.2. कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण
ग.1.3. वायुयान, हेलीकॉप्टर के आयात और अन्य विमानन संबंधित खरीद के लिए अग्रिम विप्रेषण
ग.1.4. सेवाओं की आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण
ग.2. आयात बिलों पर ब्याज
ग.3. प्रतिस्थापन आयात के बदले विप्रेषण
ग.4. प्रतिस्थापन आयात के लिए गारंटी
ग.5. बीपीओ कंपनियों द्वारा उनके समुद्रपारीय कर्यालयों के लिए उपकरणों का आयात
ग.6. आयात दस्तावेजों की प्राप्ति
ग.6.1. समुद्रपारीय आपूर्तिकताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति
ग.6.2. निर्धारित क्षेत्रों में समुद्रपारीय आपूर्तिकताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति
ग.6.3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति
ग.7. आयात का प्रमाण
ग.7.1. प्रत्यक्ष आयात
ग.7.2. बिल ऑफ एंट्री के बदले आयात का प्रमाण
ग.7.3. अगोचर आयात
ग.8. प्राप्ति सूचना जारी करना
ग.9. सत्यापन और परिरक्षण

ग.10. आयात साक्ष्यों का अनुवर्तन
ग.11. बैंक गारंटी जारी करना
ग.12. नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने/ प्लैटिनम/ चांदी की आयात
ग.12.1. परेषण आधार पर आयात
ग.12.2. अनिर्धारित मूल्य आधार पर आयात
ग.13. सोने का सीधे आयात
ग.14. प्लैटिनम,पालाडियम, रोडियम और चांदी का आयात
ग.15. स्वर्ण-ऋण
ग.16. आयात फैक्टरिंग
ग.17. वाणिज्यिक व्यापार

भाग IV

खण्ड घ-अनुबंध

घ.1 अनुबंध-1
घ.2 अनुबंध-2
घ.3 अनुबंध-3
घ.4 अनुबंध-4
घ.5 अनुबंध-5

भाग V

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

भाग-I	
खण्ड क-प्रस्तावना	
(i)	आयात व्यापार का विनियमन भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग के अंतर्गत विदेशी व्यापार के महानिदेशक द्वारा किया जाता हैं। भारत में आयात करते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि वे भारत में प्रचलित आयात-निर्यात नीति और भारत सरकार द्वारा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.381(E) द्वारा बनाई गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 और समय समय पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप हैं।
(ii)	भारत में आयात के लिए अपने ग्राहकों की ओर से साखपत्र खोलते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , सामान्य बैंकिंग कार्य प्रणाली का अनुसरण करें और (यूसीपीडीसी) आदि के प्रावधानों का पालन करे ।
(iii)	ड्रॉइंग और डिज़ाइन के आयात के संबंध में रिसर्च ऐंड डेवल्पमेंट सेस ऐक्ट, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
(iv)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आयातकों को यह भी सूचित करें कि वे यथालागू आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भाग II	
खण्ड ख-आयात व्यापार के सामान्य दिशा-निर्देश	
ख.1.-	**सामान्य दिशा-निर्देश** अपने ग्राहकों की ओर से आयात भुगतान लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण की दृष्टि से अनुसरण की जानेवाली नियमावली और विनियमावली, निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित की गई हैं। जहां पर विनिर्दिष्ट विनियमावली मौजूद नहीं है , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सामान्य व्यापार प्रथा द्वारा नियंत्रित किए जाएं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने सभी लेनदेनों में भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी "अपने ग्राहकको जानिए" (केवाईसी) के दिशा-निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखें ।
ख. 2.	**फॉर्म ए-I** व्यापारी, फर्म और कंपनियां भारत में आयात के लिए **500** अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक के भुगतान हेतु फार्म अ-I में आवेदन करें।(संकग्नक-4)
ख.3	**आयात लाइसेंस** नकारात्मक सूची में शामिल माल, जिनके लिए प्रचलित निर्यात आयात नीति के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है , उनको छोड़कर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , आयात के लिए साखपत्र मुक्त रूप से खोलें और प्रेषणों की अनुमति दें। "विदेशी मुद्रा नियंत्रण के प्रयोजन हेतु" साखपत्र खोलते समय लाइसेंस की प्रति मंगायी जाए और लाइसेंस के साथ संलग्न विशेष शर्तें, यदि कोई हों, तो उनका अनुपालन किया जाए। लाइसेंस के तहत प्रेषण के बाद उसकी विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा निरीक्षकों द्वारा इसके सत्यापन किए जाने तक अपने पास रखें।
ख.4.	**विदेशी मुद्रा क्रेता का दायित्व**
(i)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) की धारा 10(6) के अनुसार विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति है कि वह उसे अधिनियम की धारा 10(5) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को दी गई अपनी घोषणा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अथवा उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली अथवा विनियमावली के अंतर्गत किसी अन्य प्रयोजन हेतु, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का अभिग्रहण स्वीकार्य है, उसका उपयोग कर सकता है।
(ii)	जहां अधिगृहीत विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में माल आयात के लिए कर लिया गया है, वहां प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि आयातक आयात के लिए साक्ष्य अर्थात् बिल ऑफ एंट्री की एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, पोस्टल एप्रेसल फार्म अथवा सीमा शुल्क विभाग का मूल्यांकन प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करता है तथा इस बात से खुद को भी संतुष्ट कर ले कि विप्रेषण के मूल्य के समतुल्य माल आयात किया गया है ।
(iii)	मई 3, 2000 की अधिसूचना क्र. फेमा14/2000-आरबी में निर्धारित आयात के भुगतान की स्वीकार्य विधियों के अलावा आयात का भुगतान भारत में किसी बैंक के पास रखे गये समुद्रपारीय निर्यातक के अनिवासी खाते में जमा द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,उक्त उप-पैराग्राफों (i) और (ii) में

	दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
ख.5	**आयात के भुगतान के निपटान के लिए समय -सीमा**
ख.5.1	**सामान्य आयात के लिए समय सीमा**
(i)	मौजूदा विनियमों के अनुसार, गारंटी निष्पादन आदि के कारणों से रोकी गई राशि के मामलों को छोड़कर आयात के लिए प्रेषणों को पोत लदान की तारीख से अधिकतम छह महीने तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।
(ii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , विवादों, वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण विलंबित आयात देयताओं के भुगतान के लिए अनुमति दे सकते हैं। ऐसे विलंबित भुगतानों के ब्याज,मीयादी बिल अथवा पोतलदान की तारीख से तीन वर्षों से कम अवधि के लिए अतिदेय ब्याज की अनुमति निम्नलिखित भाग III के पैरा 5 के निदेशों के अनुसार दी जाए।

ख.5.2	**आस्थगित भुगतान व्यवस्था की समय सीमा**
	पोतलदान की तारीख से छः महीने की अवधि से आगे तीन वर्ष की अवधि से कम की अवधि के भुगतानों का प्रावधान करनेवाले आपूर्तकर्ता और क्रेता ऋण सहित आस्थगित भुगतान की व्यवस्था को व्यापार ऋण के रूप में समझा जाता है जिसके लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋण के मास्टर परिपत्र में निर्धारित प्रक्रियागत दिश-निर्देशों का पालन किया जाए।
ख.5.3	**पुस्तकों के आयात की समय-सीमा**
	पुस्तकों के आयात के प्रेषण को बिना किसी समय सीमा के अनुमति दी जाए बशर्ते ब्याज भुगतान, यदि कोई है, वह भाग III के पैराग्राफ 5 में निहित अनुदेशों के अनुसार है।
ख.6.	**विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए का आयात**
(i)	नियमावली में दिए गए अन्यथा को छोड़कर, कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बगैर किसी विदेशी मुद्रा का भारत में आयात नहीं करेगा अथवा भारत नहीं लाएगा। चेक सहित करेंसी के आयात को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 6/आरबी-2000 द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) नियमावली 2000 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
(ii)	रिज़र्व बैंक अपनी निर्धारित शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति को भारत सरकार और/ अथवा रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट भारत लाने की अनुमति दे सकता है।
ख.6.1.	**भारत में विदेशी मुद्रा का आयात**
	कोई व्यक्ति ,
(i)	करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर किसी भी रूप में बिना किसी भी सीमा तक भारत को विदेशी मुद्रा भेज सकता है;
(ii)	कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी भी स्थान से किसी भी सीमा तक की विदेशी मुद्रा (जारी न किए गए नोटों को छोड़कर) भारत ला सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगा कि वह व्यक्ति भारत आने पर इन विनियमों के अनुबध

	में दिये गये करेंसी घोषणा फार्म (सीडीएफ)में कस्टम अधिकारियों को घोषणापत्र प्रस्तुत करे। तथापि, इसके अतिरिक्त वहां ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा करेंसी नोट, बैंक नोट ं अथवा यात्री चेक के रूप मे लायी गयी विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य **10,000** अमरीकी डॉलर (दस हजार अमरीकी डॉलर) अथवा इसके समतुल्य से अधिक न हो और/अथवा किसी भी समय ऐसी व्यक्ति द्वारा लायी गई विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य **5,000** अमरीकी डॉलर (पांच हज़ार अमरीकी डॉलर) अथवा इसके समतुल्य से अधिक न हो।
ख.6 2.	**भारतीय करेंसी और करेंसी नोटों का आयात**
(i)	अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के किसी स्थान (नेपाल और भूटान को छोड़कर) से भारत लौटते समय भारत सरकार के करेंसी नोट और प्रति व्यक्ति अधिकतम **5,000** रु. की राशि तक के रिज़र्व बैंक के नोट , भारत ला सकता है।
(ii)	एक व्यक्ति नेपाल अथवा भूटान से **100** रुपयों से अधिक मूल्यवर्ग के नोटों को छोड़कर भारत सरकार के करेंसी नोट और रिज़र्व बैंक के नोट, दो में से कोई एक मामले में, भारत ला सकता है।

भाग III

खण्ड ग -आयात के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देश	
ग.1	**अग्रिम विप्रेषण**
ग.1.1.	माल के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण
(i)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , माल आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन बिना किसी सीमा तक अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :
(क)	यदि अग्रिम प्रेषण की राशि **100,000** अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक हो तो भारत से बाहर की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक से बिना किसी शर्त अप्रतिसंहरणीय अतिरिक्त साखपत्र अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक की गारंटी ,यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर की किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा काउंटर-गारंटी पर जारी की गयी हो ।
(ख)	जहाँ आयातक (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या विभाग / भारत सरकार / राज्य सरकार के उपक्रम को छोड़कर) विदेशी आपूर्तिकर्ता से बैंक गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ है और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , आयातक के पिछले निर्यात वसूली के रिकॉर्ड तथा प्रामाणिकता से संतुष्ट है तो **5,000,000** अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर) तक के अग्रिम विप्रेषण के लिए बैंक गारंटी/अतिरिक्त साख पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव न डाले । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , ऐसे मामलों के निपटान के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बनायी गयी उपयुक्त नीति के आंतरिक दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें ।
(ग)	जहाँ आयातक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या विभाग / उपक्रम , अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित बैंक से बैंक गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ है , वहाँ **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम विप्रेषण के लिए विप्रेषण भेजने से पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है ।
(ii)	आयात के लिए अग्रिम विप्रेषण के संबंध में सभी भुगतान विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे ।

ग.1.2	.कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण
(i)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति है कि वे बगैर किसी सीमा के और किसी आयातक (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रमों से इतर) द्वारा गारंटी अथवा समर्थनकारी साखपत्र के बिना निम्नलिखित खनन कंपनियों से भारत में कच्चे हीरों के आयात की अनुमति दे अर्थात्
क)	डी.बीअर्स यू.के.लि.,
ख)	रियो टिंटो, यू.के.,
ग)	बीएचपी बिल्लिटोन, आस्ट्रेलिया,
घ)	इंडियामा, ई.पी. अंगोला,
ङ)	अलरोसा, रूस और
च)	गोखरन, रूस
छ)	रियो टिंटो,बेल्जियम, और
ज)	बीएचपी बिल्लिटोन, बेल्जियम,
(ii)	अग्रिम प्रेषण की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी बैंक निम्नलिखित को सुनिश्चित करें -
(क)	आयातक इस संबंध में रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार कच्चे हीरों का मान्यता प्राप्त संसाधक (प्रोसेसर) हो तथा उसका निर्यात वसूली का पिछला रिकार्ड अच्छा हो;
(ख)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर और लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद लेनदेन करे;
(ग)	अग्रिम भुगतान बिक्री करार की शर्तों पर ही किया जाये और देय राशि सीधे संबंधित कंपनी,जो अंतिम हिताधिकारी हो ,उसी के खाते में क्रेडिट की जाए न कि संख्यांकित खाते में या अन्यथा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि घिसे हुये या रगड़ खाये हुए हीरों के आयात के लिए प्रेषण की अनुमति नहीं है;
(घ)	भारतीय आयातक कंपनी और समुद्रपारीय कंपनी के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए और पर्यात कर्मठता का पालन किया जाना चाहिए; और
(ङ)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , इस संबंध में जारी फेमा/ नियमों/ विनियमों/ निदेशों के अनुसार आयातक द्वारा देश में कच्चे हीरों के आयात का सबूत देनेवाला बिल ऑफ एंट्री/ दस्तावेज की प्रस्तुति का अनुवर्तन करे;
(iii)	सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम आयातक के मामले में, जहां अग्रिम भुगतान **100,000** अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक हो ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उपर्युक्त शर्तों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त बैंक गारंटी की विशेष छूट की शर्त पर अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं ।
(iv)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों ने बैंक गारंटी अथवा समर्थनकारी साखपत्र के बिना **5,000,000** अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) के समतुल्य अथवा उससे अधिक राशि के किये गये अग्रिम भुगतान की रिपोर्ट (अनुबंध-2) में प्रत्येक वर्ष सितंबर और मार्च में छमाही आधार पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, व्यापार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। रिपोर्ट संबंधित छमाही की समाप्ति पर **15** दिनों के अंदर जमा की जानी चाहिए।

ग.1.3	**वायुयान,हेलीकाप्टर और अन्य विमानन संबंधी खरीदों के आयात हेतु अग्रिम प्रेषण**
एक क्षेत्र विशेष उपाय के रूप में अनुसूचित हवाई यातायात सेवा के रूप में कार्य करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमति प्राप्त एयरलाइन कंपनियों को बैंक गारंटी अथवा समर्थनकारी साखपत्र के बिना , **50** मिलियन अमरीकी डॉलर तक के अग्रिम प्रेषण की अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्येक वायुयान, हेलीकॉप्टर और विमानन संबंधी अन्य खरीदों के शर्तरहित, अविकल्पी समर्थनकारी साखपत्र के बिना अग्रिम विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। उपर्युक्त लेनदेनों के लिए प्रेषण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे ।	
(i)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , लेनदेन के सही है इससे संतुष्ट होने और अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लेनदेन करें। श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारतीय आयातक कपनी विदेशी विनिर्माता कंपनी के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " संबंधी मानदंडों का सावधानीपूर्वक पालन करे।
	(ii)अग्रिम भुगतान बिक्री करार की शर्तों के अनुसार ही किया जाए और संबंधित विनिर्माता (आपूर्तिकर्ता)के खाते में सीधे किया जाए।
(iii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने द्वारा आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करें।
(iv)	सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम आयातक के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , यह सुनिश्चित करे कि **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम बैंक प्रेषण के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक गारंटी की अपेक्षा से छूट मिली हुई है।
(v)	भारत में माल का वास्तविक आयात प्रेषण की तारीख से छः माह (पूंजीगत माल के लिएं तीन वर्ष) के अंदर किया जाता है और आयातक संबंधित अवधि की समाप्ति से पंद्रह दिनों के अंदर आयात के दस्तावेजी प्रस्तुत करने का वचनपत्र देता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अग्रिम का भुगतान चरणबद्ध रूप में किया जाता है, करार के अनुसार किए गए अंतिम प्रेषण की तारीख को आयात के दस्तावेजी सबूत की प्रस्तुति के लिए गिना जाएगा।
(vi)	प्रेषण पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि आयात के लिए कंपनी ने वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय/ डीजीसीए/ अन्य एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।
(vii)	वायुयान और विमानन क्षेत्र संबंधी उत्पादों के आयातित न होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम प्रेषण की राशि भारत को तत्काल प्रत्यावर्तित की जाती है।
उपर्युक्त अनुबद्धों से किसी प्रकार का बदलाव होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।	
ग.1.4	**सेवाओं की आयात के लिए अग्रिम प्रेषण**
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक सेवाओं की आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों पर किसी सीमा बगैर अग्रिम प्रेषण के लिए अनुमति दें :	
(क)	यदि अग्रिम की राशि **500,000** अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक होती है तो समुद्रपारिय लाभार्थि से भारत के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक से गारंटी, अथवा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक से गारंटी, यदि इस प्रकार की गारंटी भारत के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की काउंटर-गारंटी के लिए जारी की जाती है , प्राप्त करनी चाहिए ।
(ख)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुवर्ती कार्रवाई करें कि अग्रिम प्रेषण का लाभार्थी

	भारत में प्रेषणकर्ता के साथ संविदा अथवा करार के तहत अपनी बाध्यता पूर्ण करता है, ऐसा न करने पर उक्त राशि भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ।
ग.2.	**आयात बिलों पर ब्याज**
(i)	प्राधिकृत व्यापारी बैंक लदान की तारीख से तीन वर्ष से कम अवधि के लिए समय समय पर व्यापार ऋण के लिए निर्धारित दरों पर मीयादी बिल पर ब्याज अथवा अतिदेय ब्याज के भुगतान की अनुमति दें।
(ii)	मीयादी आयात बिलों के पूर्व भुगतान के मामले में, दावा की गई दर पर असमाप्त मीयाद के लिए आनुपातिक ब्याज घटाने के बाद ही अथवा करेंसी के लिबोर , जिस पर माल का बीजक बनाया गया है , जो भी लागू हो, प्रेषण किया जाए। जहां ब्याज के लिए अलग से दावा नहीं किया गया है अथवा स्पष्ट रूप से न दर्शाया गया हो ,बीजक की करेंसी के प्रचलित लिबोर पर असमाप्त मीयाद के लिए आनुपातिक ब्याज की कटौती के बाद प्रेषण की अनुमति दी जाए।
ग.3.	**प्रतिस्थापन आयात के बदले प्रेषण**
यदि माल की कम आपूर्ति हुई है, माल क्षतिग्रस्त हो गया है, कम मात्रा में पहुंचा है अथवा रास्ते में खो गया है और मूल माल, जो खो गया है, की जमानत पर खोले गए साख पत्र की सुरक्षा के लिए आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि का उपयोग किया जा चुका है, तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , खोए हुए माल की कीमत तक के मूल पृष्ठांकन को रद्द करे और रिज़र्व बैंक को लिखे बिना आयात के प्रतिस्थापन के लिए नए प्रेषण की अनुमति दें , बशर्ते खोए हुए माल से संबंधित बीमा दावा आयातक के पक्ष में निपटाया गया हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिस्थापित कन्साइनमेंट लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर ही भेज दिया जाता है।	
ग.4.	**प्रतिस्थापन आयात के लिए गारंटी**
दोषपूर्ण आयात के प्रतिस्थापन के मामलों में, यदि समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में आयातित दोषपूर्ण माल को पुनः भारत से बाहर भेजे जाने से पहले आयात किया जा रहा है तो दोषपूर्ण माल के भेजने/ वापसी के लिए आयातक ग्राहक के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , अपने वाणिज्यिक फैसले के अनुसार गारंटी जारी कर सकते हैं।	
ग.5	**बीपीओ कंपनियों द्वारा अपने समुद्रापारिय कार्यालयों के लिए उपकरणों का आयात**
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , भारत स्थित बीपीओ कंपनियों को समुद्रपार में उनके अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों की स्थापना के संबध में उनके समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए उपकरणों के आयात और उन्हें स्थापित करने की लागत के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :	
(i)	बीपीओ कंपनी (कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग कंपनी) को अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा संबंधित अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।
(ii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के वाणिज्यिक निर्णय , लेनदेन की विश्वसनीयता और करार की शर्तों पर ही प्रेषण की अनुमति दी जाए।
(iii)	समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे प्रेषण किया जाता है।
(iv)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आयातक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा लेखा परीक्षक से आयात के

	सबूत के रूप में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि माल, जिसके लिए प्रेषण किया गया है, का वास्तव में आयात किया गया है और उसे समुद्रपारीय कार्यालय में संस्थापित किया गया है।
ग.6.	**आयात बिलों/दस्तावेजों की प्राप्ति**
ग.6.1	**आयातक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति**
	आयात बिल और दस्तावेज आपूर्तिकर्ता के बैंकर से भारत में आयातक के बैंकर द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए । अत: निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से आयातक द्वारा सीधे आयातपत्र प्राप्त करने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , कोई भी प्रेषण न करें :-
i.	यदि आयात बिल का मूल्य **300,000** अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।
iii.	विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित हैसियत धारक फ्री ट्रेड जोन में स्थित **100%** निर्यात उन्मुख इकाईं/इकाइयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।
iv.	सभी लिमिटेड कंपनियों अर्थात पब्लिक लिमिटेड, डीम्ड पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।
ग.6.2	**निर्धारित क्षेत्रों के मामले में प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति**
एक विशेष क्षेत्र उपाय के रूप में, जहाँ पर कच्चे हीरों प्रीसियस स्टोन,कच्चे तथा सेमी-प्रीसियस स्टोन के आयातपत्र/दस्तावेज , आयातक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से सीधे प्राप्त कर लेता है और आयातक द्वारा प्रेषण के समय दस्तावेज सबूत प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति है कि वे निम्नलिखित शर्तों पर कच्चे हीरों के आयात के लिए **300,000** अमरीकी डॉलर तक के प्रेषण की मंजूरी दें ।	
i.	आयात व्यापार मौजूदा व्यापार नीति के अनरूप हो ।
ii.	प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की विश्वसनीयता से तथा वे वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित हैं ,इससे संतुष्ट हों।
iii.	प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी-I , " अपने ग्राहक को जानिए " संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में सावधानी बरतें और आयातक की वित्तीय स्थिति /मालियत तथा निर्यात वसूली के पिछले के रिकार्ड से संतुष्ट हो। सुविधा देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , समुद्रपारीय बैंकर अथवा प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्रत्येक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करे।
ग.6.3	**प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति**
i.	आयातक ग्राहकों के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , उक्त के अनुसार समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ही बिल प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , आयातक की वित्तीय स्थिति / हैसियत और पिछले वसूली रिकॉर्ड से पूरी तरह संतुष्ट हो ।
ii.	सुविधा देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , समुद्रपारीय बैंकर अथवा प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्रत्येक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करे। तथापि, जहाँ पर बीजक की राशि **300,000** अमरीकी डॉलर से अधिक न हो, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , आयातक की वित्तीय स्थिति / हैसियत और पिछले वसूली रिकॉर्ड से पूरी तरह संतुष्ट हो ।
ग.7.	**आयात का प्रमाण**

ग.7. 1	**प्रत्यक्ष आयात**
(i)	आयात के उन सभी मामलों में, जहां भारत में आयात के लिए भेजी गई/ भुगतान की गई विदेशी मुद्रा की राशि **100,000** अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक है तो जिस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , के माध्यम से संबंधित प्रेषण भेजा गया है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आयातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हैं :-
(क)	घरेलू उपभोग के आयातित सामान के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि; अथवा
(ख)	**100%** निर्यात उन्मुख इकाई के मामले में वेयरहाउसों के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि; अथवा
(ग)	डाक द्वारा आयात करने के मामले में आयातक द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यथा घोषित सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र अथवा पोस्टल अप्रेज़ल फार्म, एक साक्ष्य के रूप में कि जिस माल के लिए भुगतान किया गया है, उसका वास्तविक रूप से आयात किया गया है।
(ii)	डी/ए आधार पर किए गए आयातों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , आयातपत्र के लिए प्रेषण भेजते समय आयात साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर दें । तथापि, कंसाइंमेंट का न पहुंचना, कंसाइंमेंट सुपुर्दगी/सीमा शुल्क निकासी में विलंब जैसे जायज़ कारणों से आयातक दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आयातक के अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , आयातक को आयात का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उचित समय, किंतु प्रेषण की तारीख से अधिकतम तीन महीने तक समय का दे सकते हैं।
ग.7. 2	**बिल ऑफ एंट्री के बदले आयात का प्रमाण**
(i)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , घरेलू उपभोग के के लिए आयातित माल के आयातपत्र के बदले विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अथवा कंपनी के लेखा परीक्षक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते हैं कि माल जिसके लिए प्रेषण भेजा गया है , उसका वास्तव में भारत में आयात हो चुका है ;
(क)	प्रेषित विदेशी मुद्रा की राशि **1,000,000** अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर)अथवा उसके समतुल्य राशि से कम है,
(ख)	आयातक भारत में स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध एक कंपनी है और जिसकी शुद्ध मालियत उसके पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को **100** करोड़ रुपये से कम नहीं है, अथवा आयातक कोई सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार का उपक्रम अथवा उसका कोई विभाग है।
(ii)	उक्त सुविधा, भारतीय विज्ञान संस्थान/ भारतीय तकनीकी संस्थान, जैसे वैज्ञानिक इकाई/ शैक्षणिक संस्थाएं समेत स्वाधिकृत निकायो को भी दी जाए, जिनके लेखों की जांच भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) द्वारा की जाती है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , ऐसे संस्थाओं के लेखापरीक्षक/सीईओ से इस आशय के घोषणा पत्र क़ी प्रस्तुति पर जोर दें कि नियंत्रक और महालेखाकार उनके लेखों की जांच करते हैं।
ग.7.3.	**अगोचर आयात**
(i)	जहां आयात अगोचर रूप में हो, अर्थात् इंटरनेट/ डाटाकॉम चैनेल के माध्यम से सॉफ्टवेयर या डाटा तथा ई-मेल/फैक्स के माध्यम से ड्राइंग व डिज़ाइन हो तो सनदी लेखाकार द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त

वेबसाइट : www.fema.rbi.org.in ईमेल : tradedivisionimport@rbi.org.in

	किया जाए कि आयातक को सॉफ्टवेअर/डाटा/ड्राइंग/ डिज़ाइन प्राप्त हो गये हैं ।
(ii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , आयातकों को सूचित करें कि वे इस खण्ड के अंतर्गत किए गए आयातों की जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों को दें।
ग.8.	**प्राप्ति सूचना जारी करना**
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , आयातक से प्राप्त साक्ष्य अर्थात् आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि, पोस्टल अप्रेज़ल फार्म अथवा सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र आदि की पावती पर्ची जारी करें जिसमें आयात लेनदेन से संबंधित सभी संगत ब्योरे दर्ज हों।
ग.9.	**सत्यापन और परिरक्षण**
(i)	आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक द्वारा नियुक्त किए गए बाह्य लेखा परीक्षकों समेत) आयात के दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपियों अथवा पोस्टल अप्रेज़ल फार्म अथवा सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र आदि का सत्यापन करें।
(ii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , भारत में आयात के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज सत्यापन की तारीख से एक साल की अवधि तक सुरक्षित रखें। तथापि, जिन मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा विवेचना चल रही हो , उनके दस्तावेजों को, संबंधित जांच एजेंसी से अनुमति लेने के बाद ही नष्ट किया जाए।
ग.10.	**आयात साक्ष्य का अनुवर्तन**
(i)	यदि कोई आयातक **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक के आयात के लिए किए गए प्रेषणों के संबंध में, भाग III के पैरा ग.7. की अपेक्षानुसार, प्रेषण की तारीख से तीन महीने के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , उस मामले के संबंध में अगले तीन महीने तक आयातक को पंजीकृत पत्र आदि जारी करने समेत तेज़ी से अनुवर्ती कार्रवाई करें।
(ii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , अधिकतम् **100,000** अमरीकी डॉलर के प्रेषणों के संबंध में, जहां पर कि आयातक ने उपयुक्त दस्तावेजी आयात साक्ष्य प्रेषण की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने में चूक की है उनके आयात लेनदेनों के ब्योरे देते हुए फार्म बीईएफ (अनुबंध-1) में छमाही आधार हर वर्ष जून और दिसंबर के अंत में रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , कार्य करता हैं, छमाही जिससे विवरण संबधित है , की समाप्ति के **15** दिन के भीतर, प्रस्तुत करे।
(iii)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1बैंकों को **100,000** अमरीकी डॉलर अथवा इससे कम राशिवाले आयात के साक्ष्य की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे लेनदेन की विश्वसनीयता और प्रेषक की नीयत से सतुष्ट हों । ऐसे मामलों में, कार्रवाई करने के लिए , बैंक का निदेशक मंडल एक उपयुक्त नीति बनाए और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक ,तदनुसार अपने लिए आंतरिक दिशा-निर्देश स्वंय निर्धारित करें।
ग.11.	**बैंक गारंटी जारी करना**
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 को अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबीके अनुसार अपने आयातक ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति है।
ग.12.	**नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण प्लैटिनम/ चांदी का आयात**
ग.12.1	**.कंसाइनमेंट आधार पर स्वर्ण आयात**
	नामित एजेंसियों/बैंकों द्वारा कंसाइनमेंट आधार पर स्वर्ण आयात किया जा सकता है , जहाँ पर स्वामित्व

	आपूर्तिकर्ता के पास रहेगा और आयातक (कंसाइनी) आपूर्तिकर्ता (कंसाइनर) के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। आयात की लागत के लिए प्रेषण बिक्री होने पर और समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता और नामित एजेंसी/बैंक के बीच किए गए करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ये अनुदेश प्लैटिनम और चांदी के आयात पर भी लागू होंगे।
ग.12.2.	**अनिर्धारित कीमत के आधार पर स्वर्ण आयात**
	नामित एजेंसी/बैंक एकमुश्त खरीद आधार पर स्वर्ण आयात कर सकते हैं शर्त यह होगी कि स्वर्ण का स्वामित्व आयात के समय ही आयातक के नाम में चला जाएगा परंतु स्वर्ण की कीमत , आयातक द्वारा ग्राहकों को स्वर्ण की बिक्री कर देने के बाद निर्धारित की जायेगी । ये अनुदेश प्लेटिनम और चांदी के आयात पर भी लागू होंगे ।
ग.13.	**स्वर्ण का सीधे आयात**
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , स्वर्ण के सीधे निर्यात हेतु रत्न और जवाहरात क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और नामित एजेंसियों की ओर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन साख पत्र खोल सकता है और प्रेषण की अनुमति दे सकता है :
(i)	स्वर्ण का आयात सख्ती से निर्यात आयात नीति के अनुसार ही होना चाहिए।
(ii)	स्वर्ण के सीधे आयात के लिए खोले गए साख पत्र की अवधि सहित आपूर्तिकर्ता और क्रेता की ऋण अवधि 90 दिनों से अधिक के लिए न हो।
(iii)	स्वर्ण के आयात से संबंधित सभी लेनदेनों हेतु बैंकर के विवेक का सही-सही उपयोग किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , सुनिश्चित करे कि यथोचित कर्मिष्ठता का निर्वाह किया जाता है तथा ऐसे लेनदेन करते समय अपने ग्राहकों को जानिए के सभी मानदंडों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी एंटी मनी लाउंडरिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेनों की सावधानीपूर्वक निगरानी करें। आयातकों के कारबार में भारी अथवा असामान्य वृद्धि की ध्यानपूर्वक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि लेनदेन विश्वसनीय हैं।
(iv)	सामान्य यथोचित कर्मिष्ठता का निर्वाह करने के अलावा साखपत्र खोलने के पहले आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता का भी पता लगाया जाए। आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति, कारोबार का प्रकार और निवल मालियत के साथ कारबार के टर्नओवर की मात्रा का अनुपात उचित होना चाहिए। उपर्युक्त के अलावा, बैंक ऐसे मामलों में वास्तविक स्थिति के निर्धारण हेतु अन्य बैंकों से सावधानीपूर्वक पूछताछ भी करे। इसके अलावा, आयात/ निर्यात लेनदेनों के लेखा परीक्षा के तरीके को स्थापित करने के लिए ऐसे लेनदेनों से संबंधित सभी दस्तावेजों का कम से कम पांच वर्षों तक रखा जाए।
(v)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , अनुदेशों के अनुसार आयातकों द्वारा बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे।
(vi)	स्वर्ण के आयात का लेनदेन करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों , के प्रधान कार्यालय/ अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग अनुबंध-3 में दिए गए फार्मेट के अनुसार उसमें एक मासिक रिपोर्ट व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, अमर बिल्डिंग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करें।

ग.16.	**आयात फैक्टरिंग**
(i)	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैक्टरिंग कंपनियों, अधिमानतः फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल के सदस्य के साथ, आयात फैक्टरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं।
(ii)	उन्हें व्यापारियों को आयात से संबंधित मौजूदा विदेशी मुद्रा निदेशों, प्रचलित निर्यात-आयात नीति और रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी किसी अन्य दिशानिदेश/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
ग.17.	**वाणिज्यिक व्यापार**
	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक , वाणिज्यिक व्यापार लेनदेन अथवा मध्यवर्ती व्यापार लेनदेन करते समय आवश्यक पूर्वोपाय करें कि यह सुनिश्चित किया जा सके किः
(क)	लेनदेन के संबधित माल भारत में आयात करने के लिए अनुमत हैं विदेशी वाणिज्यिक व्यापार लेनदेन के निर्यात खंड और आयात खंड के लिए क्रमशः निर्यात (घोषणा फार्म के सिवाय) और आयात (आयात पत्र के सिवाय) के लिए लागू सभी नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन किया जाता है।
(ख)	संपूर्ण वाणिज्यिक व्यापार संबंधी लेनदेन **6** माह के भीतर पूरा किया जाता है।
(ग)	लेनदेनों में विदेशी मुद्रा परिव्यय तीन महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं है।
(घ)	निर्यात खंड के लिए समय पर भुगतान प्राप्त किया जाता है।
(ङ)	जहां निर्यात खंड के लेनदेनों का भुगतान आयात के भुगतान से पहले होता है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि भुगतान शर्तें ऐसी हों कि लेनदेन के निर्यात खंड के लिए प्राप्त भुगतान से लेनदेन के आयात खंड की देयता बिना विलंब समाप्त की जाती है।
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कृपया नोट करें कि आपूर्तिकर्ता ऋण अथवा क्रेता ऋण दोनों के रूप में अल्पावधि ऋण वाणिज्यिक व्यापार अथवा मध्यावर्ती व्यापार लेनदेनों के लिए उपलब्ध नहीं ह	

भाग IV

खण्ड घ- अनुबंध

वेबसाइट : www.fema.rbi.org.in ईमेल : tradedivisionimport@rbi.org.in

अनुबंध(आयात व्यापार के लिए संबंधित अधिसूचना और फार्म)

अनुबंध- 1

बीईएफ

(मास्टर परिपत्र के भाग III का पैरा ग.10.(ii) देखें)

अनुस्मारक भेजने के बावजूद दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त न होने पर,

आयात के लिए भेजे गए प्रेषणों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम और पता ----------

प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नियंत्रक शाखा का नाम ----------

----------को समाप्त अर्ध-वार्षिक विवरण

टिप्पणी :

i. विवरण, दो प्रतियों में, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ,जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा कार्यरत है , में जमा किया जाए।

ii. विवरण में में केवल उन लेनदेनों के ब्योरे को शामिल किया जाए जहाँ प्रेषण राशि **100,000** अमरकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक हो।

iii. जहां अग्रिम प्रेषण के समय प्रेषण का प्रयोजन आयात था और बाद में मुद्रा का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए मुद्रा की विक्री अनुमत है और प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेज़ जमा किए गये हैं, तो ऐसे मामलों को चूक के मामले न समझा जाए, अतः उन्हें बीईएफ विवरण में शामिल न किया जाए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी बैंक "इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" को भारत में आयात के अनंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर भी वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोग के लिए सामान की बिल ऑफ एंट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति उचित अवधि में प्रस्तुत की जाती है। जहां सीमा शुल्क ने ईडीआई प्रणाली लागू कर दी गयी है और आयातक को सीमा शुल्क से "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की केवल एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक को यह सूचित करें कि वे माल को वेअरहाऊस/बांड से निकालने के पश्चात घरेलू उपयोग के लिए "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की फोटो कॉपी प्रस्तुत करें जिसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथावत सत्यापित कराने के बाद आयात के अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। जहां "इनटु बॉण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" प्रस्तुत किया गया है ऐसे मामलों को बीईएफ विवरण में रिपोर्ट न किया जाए।

v. विवरण में भारत से 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के सभी प्रेषणों या आयात संबंधी विदेश से प्राप्त भुगतान जिनमें अग्रिम भुगतान, विलंबित भुगतान आदि शामिल हैं , निधीयन के स्रोत (जैसे ईईएफ़सी खाते/भारत या विदेश में रखे गए विदेशी मुद्रा खाता, बाह्य वाणिज्यिक उधारों से भुगतान, आयातक के शेयरों में विदेशी निवेश आदि)।पर ध्यान दिए बगैर के ब्योरे शामिल किए जाएं ।

vi. पिछले छमाही विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों को चालू अर्ध-वार्षिक विवरण के भाग I में पुनः रिपोर्ट न करें ।

viii. विवरण जिस छमाही से संबधित है उसकी समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

भाग I

आयात के दस्तावेजी सबूत पेश करने में चूक करने वाले आयातकों से संबधित जानकारी

क्रम संख्या	आयातक/ निर्यातक कूट सं	आयातक का नाम और पता	आयात लाइसेंस की सं. और तारीख अगर हो	मालों का संक्षिप्त वर्णन	प्रेषण / भुगतान की तारीख	करेंसी और राशि	समकक्ष रुपये	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
आदि								
आ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
आदि								

भाग II

पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण/विवरणों के भाग I में सूचित आयातकों से बाद में प्राप्त आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी

क्रमांक	आयातक का नाम और पता	बीईएफ विवरण की अवधि और पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण की भाग-I में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की क्रम सं.	प्राप्ति -तारीख	प्रेषण की राशि		टिप्पणी
				करेंसी और राशि	समतुल्य रुपये	
1	2	3	4	5		6
अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों से इतर अन्य पार्टियों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
4						
आदि						
आ : : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
आदि						

टिप्पणी : पिछले अर्ध वर्ष के दौरान बीईएफ विवरण के भाग II में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों को चालू अर्ध वर्ष के भाग II में दुबारा न रिपोर्ट न किया जाए ।

प्रमाणपत्र

i हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और सही हैं ।

ii इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करतें हैं कि निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है।

iii हम वचन देते हैं कि विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में आयातक से पूछताछ जारी रखेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्टैंप

नाम :

पदनाम :

तारीख :

स्थान :

अनुबंध- 2

[मार्च 02, 2007 का ए.पी. (डीआइआर सिरीज) सं.34]

मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा ग.1.2(iv) देखें

... ... को समाप्त अवधि के लिए कच्चे हीरों के आयात हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के समकक्ष या उससे अधिक अग्रिम राशि के लिए बगैर बैंक गारंटी अथवा स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के अग्रिम प्रेषण को दर्शानेवाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम :

प्राधिकृत व्यापारी कूट (14 अंकों में) :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	आयातक कंपनी का नाम और आइईसी स.	बैंक गारंटी/ स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर किए गए अग्रिम भुगतान की राशि	क्या आयात के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं
1.	डी बीअर्स यू.के. लि.			
2.	रिओ टिंटो, यू.के.			
3.	बीएचपी बिल्लिटोन, ऑस्ट्रेलिया			
4.	इंडियामा ई.पी. अंगोला			
5.	अलरोसा, रूस			
6.	गोखरन, रूस			
7.	रिओ टिंटो, बेल्जियम			
8.	बीएचपी बिल्लिटोन,बेल्जियम			

तारीख :

बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर

स्टाम्प :

अनुबंध- 3

[एपी (डीआरआर सिरीज़) परिपत्र सं.2 जुलाई 9, 2004]

मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा ग.13.(vi) देखें

_____ को समाप्त माह के दौरान आयातित स्वर्ण का विवरण

बैंक का नाम :

विवरण की तारीख :

	लेनदेनों की सं.		आयातित सोने का मूल्य			
	निर्यात उन्मुख इकाई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक	(मिलियन अमरीकी डॉलर में)		(करोड़ रुपए में)	
			निर्यात उन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक	निर्यात उन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक
सोना						
(i) भुगतान पर सुपुर्दगी आधार						
(ii) आपूर्तिकर्ता ऋण आधार						
(iii) परेषण आधार						
(iv) अनिर्धारित मूल्य आधार						

टिप्पणी : 1. ऐसे मामलों में लेनदेनों के पूरे विवरण दिए जाएं जहां एकल निर्यातक के लेनदेनों की संख्या एक माह में 10 लेनदेन अथवा आयात का सकल मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो जाता है।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्यात उन्मुख इकाई/ इकाइयों और नामित एजेंसियों के ब्योरे अलग से दिए जाएं ।

अनुबंध-4

वेबसाइट : www.fema.rbi.org.in ईमेल : tradedivisionimport@rbi.org.in

(मास्टर परिपत्र के भाग ।। का पैराग्राफ ख.2. देखें)

[देखें जून 19,2003 का परिपत्र सं. 106]

फार्म-अ 1 -अनिवासी बैंक के भारतीय रुपया खाते के अंतरण हेतु आवेदनपत्र

फार्म-अ 1 **(केवल आयात भुगतानों के लिए)** **अनिवासी बैंक के भारतीय रुपया खाते के अंतरण हेतु आवेदनपत्र**	**(हल्के नीले कागज पर छापा जाये)** **ए.डी.कोड नंबर ----------**
	फार्म नंबर (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)
	क्रमांक ---------- (भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)
	प्रेषित राशि ---------- ---------- करेंसी राशि
	----------रुपये के सममूल्य ----------(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

मैं/हम ----------बैंक में रखे गये श्री ----------के खाते से
(प्रेषक का खाता रखने वाला प्राधिकृत व्यापारी बैंक) (प्रेषक का नाम तथा पता)

---------- बैंक में रखे गये खाते में
(अनिवासी बैंक खाते का पूरा नाम जिसमें राशि जमा की गयी है,निवासी देश का उल्लेख किया जाये)
रु.---------- राशि अंतरित करना चाहता हूँ जो कि भारत को आये आयातों के भुगतान जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है, के लिये है ,
---
(प्रेषण के हिताधिकारी का नाम तथा पता)

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन-अ - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

आयात लाइसेंस							जारी करने की तारीख			समाप्ति तारीख			लाइसेंस का अंकित मूल्य	परांकित की जाने वाली राशि (रु.) @
प्रीफिक्स		लाइसेंस नं.	सफिक्स											
1	2		1	2	4	5	तारीख	माह	वर्ष	तारीख	माह	वर्ष		

@ प्रत्येक लाइसेंस में के लिए रुपयों मे परांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण दिया जाये । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

सेक्शन-आ - आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा	माल का ब्योरा	वर्गीकरण की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली	किस देश का माल है	किस देश से माल भेजा गया है	माल के शिपमेंट का साधन(वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) मात्रा	शिपमेंट की तारीख
क्रमांक व तारीख	शर्तें (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि)	करेंसी	राशि							

सेक्शन-इ - अन्य ब्यौरे

1	**आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे**	**_____ (संविदा का क्रमांक तथा तारीख)**	**(संविदा की राशि तथा करेंसी)**	**_____ (आयात संविदा के तहत अवशेष)**
2	**यदि विप्रेषण की राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)**			

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैनें /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम घोषित करता हूँ/करते हैं और जानता और समझता हूँ/ जानते और समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

	_____ आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	
	@ आवेदक का नाम और पता आयातक का कोड नंबर @राष्ट्रीयता @साफ अक्षरों में भरा जाए	
तारीख:----------		

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म अ 2 प्रयोग किया जाये ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(क) आयात लाइसेस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मागा गया है , वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

(ख) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(ग) आयात @----------की ओर से किया जा रहा है और

(घ) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

*आयात की गयी **माल की वास्तविक कीमत है ।**

* आयात की जाने वाली

यदि आयात किया गया है

मैं /हम इसके साथ प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर रहे हैं ।

कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति

डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा

जो मदें लागू न हों , उन्हें काट दें ।

@ जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो , सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये ।

तारीख ----------

(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भेजा भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख किया जाए)।

मुहर तारीख :.....	--- प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नाम पदनाम प्राधिकृत व्यापरी का नाम व पता ----------

---

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जाने वाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही (i) **यह एक अग्रिम भुगतान है ।**

का निशान लगायें

(ii) ☐ **हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**

(iii) ☐ **हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**

(iv) ☐ **आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**

(v) ☐ **दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**

(vi) ☐ _____

(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(ख) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।

(ग) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान ---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता) *द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]

* सत्यापन कर लिया गया है ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]

* आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम ----------

पदनाम----------

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता----------

मुहर

तारीख ----------

* जो मद लागू न हों उन्हें काट दें ।

फार्म ए 1-विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

(सफेद कागज पर छपवाया जाये)

ए.डी.कोड सं.

फार्म सं.

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

फार्म ए 1

(केवल आयात भुगतान हेतु)

क्रमांक

संख्या ----------

(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)

विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

रुपये ----------राशि के समतुल्य की करेंसी प्रेषित ।

रुपये ----------राशि

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

मैं/ हम , भारत में आयात किये गये माल , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , ----------

----------(विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को आयात मूल्य का भुगतान करने के लिए ---------- ---------- के माध्यम से (प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता) ----------

---------- (राशि शब्दों में) की की विदेशी मुद्रा ----------

(करेंसी का नाम) खरीदना चाहते हैं ।

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन-अ - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन ए: आयात लाइसेंस के ब्योरे

आयात लाइसेंस							जारी करने की तारीख			समाप्ति तारीख			लाइसेंस का अंकित मूल्य	परांकित की जाने वाली राशि (रु.) @
प्रीफिक्स		लाइसेंस नं.	सफिक्स											
1	2		1	2	4	5	तारीख	माह	वर्ष	तारीख	माह	वर्ष		

@ प्रत्येक लाइसेंस में के लिए रुपयों मे परांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण दिया जाये । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

सेक्शन-आ - आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा	माल का ब्योरा	वर्गीकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली	किस देश का माल है	किस देश से माल भेजा गया है	माल के शिपमेंट का साधन(वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) मात्रा	शिपमेंट की तारीख
क्रमांक व तारीख	शर्तें (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि)	करेंसी	राशि							

सेक्शन-इ - अन्य ब्यौरे

1.	**आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे**	**संविदा की संख्या तथा तारीख**	**संविदा की राशि तथा करेंसी**	**आयात संविदा के तहत अवशेष**
2.	**यदि विप्रेषण की राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)**			

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैनें /हमने अधिकारपत्र जारी करने हेतु किसी अन्य बैंक के जरिये आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम जानता और समझता हूँ/ जानते और समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर @ आवेदक का नाम व पता ----------

आयातक का कोड नंबर ----------

@ राष्ट्रीयता ----------

तारीख ---------- @ साफ अक्षरों में भरा जाये ----------

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म अ 2 प्रयोग में लाया जाये ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(क) आयात लाइसेस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मागा गया है, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

(ख) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(ग) आयात @----------की ओर से किया जा रहा है और

(घ) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

*आयात की गयी **माल की वास्तविक कीमत है ।**

* आयात की जाने वाली

यदि आयात किया गया है	मैं /हम इसके साथ प्राधिकृत	कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की

	व्यापारी को प्रस्तुत कर रहे हैं ।	प्रति _____ डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा
यदि आयात किया जाना है	मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर देंगे ।	कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति _____ डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा
जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें ।		

@ जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो , सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये ।

तारीख:---------- ----------

(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

(भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए , भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का भी उल्लेख किया जाए ।)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यापरी का नाम व पता ----------

मुहर

तारीख ----------

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जानेवाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही का निशान लगायें (i) **यह एक अग्रिम भुगतान है**

(ii) ☐ **हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**

(iii) ☐ **हन्मारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**

(iv) ☐ **आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**

(v) ☐ **दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**

(vi) ☐ _____
(स्पष्ट किया जाने वाला अन्य कोई मामला)

(ख) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।

(ग) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान ---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता) *द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* **तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।**

  [उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]

* **सत्यापन कर लिया गया है ।**

  [उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]

* **आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।**

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी का नाम ----------

पदनाम----------

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता----------

मुहर

तारीख ----------

- जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें ।

फार्म ए 1-एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये भुगतान के लिए आवेदनपत्र

(हल्के पीले कागज पर छपवाया जाये)

ए.डी.कोड सं.

फार्म सं.

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

फार्म ए 1

(केवल आयात भुगतान हेतु)

संख्या ----------

क्रमांक

(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)

विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र

रुपये ----------राशि के समतुल्य की करेंसी प्रेषित ।

रुपये ----------राशि

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

मैं/ हम , भारत में आयात किये गये माल , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , ----------

----------(विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को आयात मूल्य का भुगतान करने के लिए ---------- ---------- के माध्यम से (प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता) ---------- (राशि शब्दों में) की की विदेशी मुद्रा ----------

----------(करेंसी का नाम) खरीदना चाहते हैं ।

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन-अ - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

आयात लाइसेंस							जारी करने की तारीख			समाप्ति तारीख			लाइसेंस का अंकित मूल्य	परांकित की जाने वाली राशि (रु.) @
प्रीफिक्स		लाइसेंस नं.	सफिक्स											
1	2		1	2	4	5	तारीख	माह	वर्ष	तारीख	माह	वर्ष		

@ प्रत्येक लाइसेंस में के लिए रुपयों मे परांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण दिया जाये । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

सेक्शन-आ - आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा	माल का ब्योरा	वर्गीकरण की समानतापूर्ण प्रणाली	किस देश का माल है	किस देश से माल भेजा गया है	माल के शिपमेंट का साधन(वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) मात्रा	शिपमेंट की तारीख(यदि तारीक घात न हो तो अनुमान से लिखी जाये)
क्रमांक व तारीख	शर्ते (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि)	करेंसी	राशि							

सेक्शन-इ - अन्य ब्यौरे

1. आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे ---------- संविदा का क्रमांक तथा तारीख ---------- संविदा की राशि तथा करेंसी ---------- आयात संविदा के तहत अवशेष

2. **यदि विप्रेषण की राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)** ----------

---

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैनें /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम जानता और समझता हूँ/ जानते और समझते हैं कि इस आवेदनपत्र पर एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये मुझे/ हमें किये गये भुगतान से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है, उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है, उनका अनुपालन किया जायेगा ।

आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर @ आवेदक का नाम व पता ----------

आयातक का कोड नंबर ----------

@ राष्ट्रीयता ----------

तारीख ---------- @ साफ अक्षरों में भरा जाये ----------

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म अ 2 प्रयोग में लाया जाये ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(i) आयात लाइसेस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मागा गया है, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

(ii) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(iii) आयात @----------की ओर से किया जा रहा है और

(iv) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

*आयात की गयी **माल की वास्तविक कीमत है ।**

* आयात की जाने वाली

मैं /हम इसके साथ संबंधित कस्टम विभाग की मुहर लगे बिल ऑफ एंट्री * की प्रति प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर रहे हैं ।

यदि आयात आयात किया जाने वाला सामान लिफाफों में बंद कर दिया गय है तो

डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा

मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि संबंधित कस्टम विभाग की मुहर लगे बिल ऑफ एंट्री * की प्रति तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर देंगे ।

यदि आयात किया जाना है डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा

जो मदें लागू न हों , उन्हें काट दें ।

@ जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो , सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये ।

तारीख ----------

(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भेजा भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख किया जाए ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ----------

पदनाम----------

प्राधिकृत व्यापारी----------

का नाम और पता----------

मुहर

तारीख:.....

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जानेवाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही का निशान लगायें

(i) **यह एक अग्रिम भुगतान है ।**

(ii) ☐ **हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**

(iii) ☐ **हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**

(iv) ☐ **आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**

(v) ☐ **दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**

(vi) ☐

(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(ख) विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।

(ग) माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान ---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता) *द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

* **तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।**

  [उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]

* **सत्यापन कर लिया गया है ।**

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]

* **आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।**

[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम----------

मुहर पदनाम----------

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता----------

तारीख ----------

- जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें ।

अनुबंध- 5

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

जीएसआर 381 (E)मई 3, 2000 (समय- समय पर यथासंशोधित)* :- केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) और (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से लोक हित में इस आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 कहा जाए।

(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) " अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

(ख) "आहरण" से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत साख पत्र लेना या अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी सम्मिलित है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलगन अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध : किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है , अर्थात्

क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या

ख) नेपाल और / या भूटान में यात्रा; या

ग) नेपाल या भूटान के निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

परंतु खंड (ग) के निषेध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकेगा ।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा; परंतु यह नियम वहाँ लागू नहीं

होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के रेजिडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है ।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :- कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पुर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी संव्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा नहीं लेगा ;परंतु यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है;

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण, लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ एक्स्चेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते से आहरण को यथास्थिति अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. भारत के बाहर रहते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग

भारत के बाहर दौरे पर रहते समय किसी व्यक्ति द्वारा अपने खर्चे के भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 में दी गई कोई भी शर्त लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1
निषिद्ध लेनदेन
(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण ।
2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरुचि से उत्पन्न आय से प्रेषण ।
3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/अभिनिषिद्ध पत्रिका के व्यय के लिए फ़ुटबाल पूल दांव लगाने आदि के लिए प्रेषण ।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त वेंचर/संपूर्ण स्वामित्व समानुषंगियों में इक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर दलाली का भुगतान ।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए शेष लाभांश की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण ।
6. चाय और तंबाकू के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन के सिवाय रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर दलाली का भुगतान ।
7. दूरभाषा के "काल बैक सर्विसेज" से संबंधित भुगतान ।
8. अनिवासी विशेष रुपए खाते (एनआरएसआर) में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण।

अनुसूची - II
केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा रखनेवाले लेनदेन
(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है ।
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े से प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सीआईएफ पर आधारित (जैसे एफओबी और एफएएस पर आधारित को छोड़कर) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आयात पर भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. टीवी चैनल और इंटरनेट सेवा देने वाले द्वारा ट्रांसपॉडर का भाड़ा #	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर कंटेनर रोक रखने का प्रभार	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. ऐसे तकनीकी सहयोग करारों के अधीन प्रेषण, जहाँ स्वामित्व का भुगतान स्थानीय विक्रय पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत से अधिक है और एक मुश्त राशि का भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है ।	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय
9. यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है तब अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के पुरस्कार धन/प्रायोजन का प्रेषण ।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग)
10. हटा दिया गया	
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण ।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III
(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक निजी यात्रा के लिए एक कलैंडर वर्ष में 10, 000 अमरीकी डॉलर उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा का आहरण।
3. @प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक / दाता, **5000** अमरीकी डॉलर से अधिक का दान प्रेषण।
4. #प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता **5000** अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान।
5. रोज़गार के लिए विदेश जा रहे व्यक्तियों के लिए **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक मुद्रा सुविधाएं ।
6. **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक या उत्प्रवास के देश में निर्धारित उत्प्रवास रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए प्रेषण :
   (i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसका निवल वेतन से अधिक (कर, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और

   (क) कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भिन्न किसी दूसरे देश का नागरिक है,
   (ख) भारत का नागरिक हैं वह ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित के किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है ।

   (ii) अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता **100,000** अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक।

   स्पष्टीकरण : *इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने प्रतिनियुक्ति पर (उसकी अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।*

8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर विचार न करते हुए, कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में सहभागी होने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने या विदेश में स्वास्थ की जाँच कराने या चिकित्सीय उपचार/जाँच पड़ताल के लिए विदेश जानेवाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए **25,000** अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।
9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक मुद्रा जारी करना ।
10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के प्राक्कलनों से अधिक या **100,000** अमरीकी डॉलर "प्रति शैक्षणिक वर्ष" जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना ।
11. भारत में रहने के लिए फ़्लैटों/वाणिज्यिक प्लॉटों के विक्रय के लिए **25,000** अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक प्रेषण प्रति लेनदेन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश के एजेंट को कमीशन ।
12. हटा दिया गया
13. हटा दिया गया
14. हटा दिया गया

15. विदेशी से बाहर से प्राप्त की गई परामर्शी सेवाओं के लिए **1,00,000** अमरीकी डालर से अधिक का प्रेषण ।

16. भारत में व्यापार चिह्न /विशेषाधिकार के उपयोग और / या क्रय करने के लिए विप्रेषण ।

17. *पूर्व निगमन व्यय के संवितरण के द्वारा भारत में किसी कंपनी द्वारा **1,00,000** अमरीकी डॉलर से अधिक प्रेषण।

18. हटा दिया गया

* **(संशोधन)**

17 अगस्त 2000 की अधिसूचना जीएसआर.663(ई),30 मार्च 2001की अधिसूचना एस.ओ.301(ई),
17 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर. 831(ई।16 जनवरी 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.33(ई)
14 मई 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर. 397(ई) ,11 सितंबर 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर. 731(ई)
29 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर. 849(ई। 13 सितंबर 2004 की अधिसूचना जी.एस.आर. 608(ई),28 जुलाई 2005 की अधिसूचना जी.एस.आर. 512(ई)
11 जुलाई 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर. 412(ई)

कृपया नोट करें :

@ 20 दिसंबर 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 द्वारा संशोधित

\# 20 दिसंबर 2006 और 30 अप्रैल 2007 द्वारा क्रमशः ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 और 45 द्वारा संशोधित

ऱ 30 अप्रैल 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46 द्वारा संशोधित

* 30 अप्रैल 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47 द्वारा संशोधित

अनुबंध

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची :माल और सेवाओं का आयात

एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	106	19 जून 2003
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	4	19 जुलाई 2003
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	**9**	18 अगस्त 2003
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	15	17 सितंबर 2003
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	49	15 दिसंबर
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	66	6 फरवरी 2004
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	72	20 फरवरी 2004
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	2	9 जुलाई 2004
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	18 फरवरी 2005
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	1	12 जुलाई 2005
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	33	28 फरवरी 2007
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	2 मार्च 2007
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	63	25 मई 2007
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	77	29 जून 2007
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	18	7 नवंबर 2007
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	37	16 अप्रैल 2008
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	03	4 अगस्त 2008
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	08	21 अगस्त 2008
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	09	21 अगस्त 2008
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	12	28 अगस्त 2008
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	13	1 सितंबर 2008
एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	15	8 सितंबर 2008